न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरणसर

बअदालत – श्री शिवपाल जाट, आर. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या – 93/2018

1. अमरी पत्नि गिरधारीलाल नाई निवासी मोहकमपुरा तहसील लूनकरनसर

– वादीगण

बनाम

1. जसोदा पत्नि सत्यनारायण जाति नाई निवासी मोहकमपुरा तहसील लूनकरनसर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) लूनकरणसर

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत चिरस्थाई निषेधाज्ञा एवं घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 आर टी एक्ट एवं धारा 136 एलआरए

उपस्थित

1. श्री श्यामदीन पड़िहार वकील वादीगण।
2. श्री आरिफ खान वकील प्रतिवदीगण।
3. पैरोकार राज स्टेट की ओर से।

–:निर्णयः–

दिनांकः– 23.07.2019

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादिया ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 53 आरटीए व धारा 136 एलआरए के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया एवं प्रतिवादिया के मध्य पारिवारिक देवरानी का रिश्ता है। वादगत भूमि एक ही व्यक्ति से खरीद कर मौका पर खरीद के समय प्रदत्त कब्जा के आधार पर भोतिक रूप से काबिज काश्त है। पुराने खसरा नम्बर 13/327 की तादादी 50 बीघा की जोत में से 25 बीघा रिकार्ड में वादिया खातेदार दर्ज है। जिसके हाल सर्वे में खसरा नम्बर 76 तादादी 6.32 है0 है तथा प्रतिवादिया के खसरा नम्बर 74 बने। प्रदत्त कब्जा अनुसार भौतिक खातेदारी जोत वादिया घोषणा के अधिकारिणी है। हाल सर्वे में खसरा नमब्र 76 की तादादी 6.32 है0 तथा प्रतिवादिया के खसरा नम्बर 74 बने जिसके उपनिवेशन सर्वे की सूची नम्बर 4 व 8 बनाते समय वादिया की जोत प्रदत्त कब्जा काशत के विरूद्ध फिटिंग कर दी गई है। हाल चक 2 एमजीडी के मु.नं. 82/50 कि.नं. 13 ता 18, 23 ता 25 कुल 9 बीघा अ.क., मु.नं. 82/51 कि.नं. 4 ता 7, 14 ता 17 8 बीघा अ.क., मु.नं. 82/59 के कि.नं. 1 कमाण्ड, 10, 11, 20 तीन अनकमाण्ड, मु.नं. 82/58 कि.नं. 11, 20, 21 जिसमें एक कमाण्ड तीन अनकमाण्ड कुल 25 बीघा में 23 बीघा अ.क. 2 बीघा कमाण्ड रिकार्ड में दर्ज की गई है। जबकि मौका की राजस्व तरीमीम के अनुसार प्रदत्त कब्जा काश्त के अनुसार मु. नं. 82/50 कि.नं. 15, 16, 22, 24, 25 चार बीघा, मु.नं. 82/51 के कि.नं. 5, 6, 15, 16 चार बीघा, मु.नं. 82/59 कि.नं. 1 ता 3, 8 ता 12, 20, 21 नौ बीघा, मु.नं. 82/58 कि.नं. 11 ता 13, 18 ता 22 आठ बीघा कुल 25 बीघा में से 13 कमाण्ड व 12 अनकमाण्ड पर मौका पर वादिया की जोत है। जिसकी घोषणा की अधिकारी वादिया है। इसके अलावा वादिया की जोत के प्रतिकूल फिटिंग वादियों के हकों के मुकाबले

Scanned by CamScanner

अंकन प्रतिवादिया मु.नं 82/59 के कि.नं. 2, 3, 8, 9, 12 पांच बीघा, 82/58 कि. नं. 13, 14, 17, 18, 23 पांच बीघा व मु.न. 82/51 कि.नं. 4, 7, 14, 17 दर्ज वादी के गलत रूप से की गई है।

यह कि वादिया की खातेदारी जोत 25 बीघा है। जो किसी की पेतृक जोत का भाग नहीं है की वादिगण गलत रूप से फिटिंग के जरिये रिकार्ड में अंकित आधार पर जबरिया वादिया की जोत में विवाद पैदा कर हड़पना चाहते है। जबरन जान बूझकर दखल में सम्भावित है। वादिया की गलत फिटिंग के कारण पानी की बारी मात्र 2 बीघा कमाण्ड की बनाई गई है। जबकि मौका पर वादिया की 13 बीघा भूमि कमाण्ड है। कैम्प लोक अदालत में खाता दुरूस्ती के लिए समझाया गया मगर दिनांक 26.05.2018 को प्रतिवादी 1 व 2 के प्रतिनिधि दुरूस्ती से इनकार हो गए। वादिया को जबरन बेदखली से अपूर्णीय क्षति संभावित है। मामला अन्यंत अर्जेंट नेचर का है। न्याय के निष्फल की प्रबल संभावना है। वाद कारण तत्कालिक के आधार पर पेश है।

अतः जोत पुस्तैनी पिता की मृत्यु के बाद वादियान के शामिल खाते में जोत चक 2 एमजीडी की मौका की राजस्व तरमीम के अनुसार तथा प्रदत्त व काश्त के अनुसार चक 2 एमजीडी के मु.नं. 82/50 कि.नं. 13 ता 18, 23 ता 25 कुल 9 बीघा अ.क., मु.नं. 82/51 कि.नं. 4 ता 7, 14 ता 17 8 बीघा अ.क., मु.नं. 82/59 के कि.नं. 1 कमाण्ड, 10, 11, 20 तीन अनकमाण्ड, मु.नं. 82/58 कि.नं. 11, 20, 21 जिसमें एक कमाण्ड तीन अनकमाण्ड कुल 25 बीघा में 23 बीघा अ. क. 2 बीघा कमाण्ड वादी की जोत है। जिसकी वादिया घोषणा की अधिकारिणी है। साथ ही जामबंदी सम्वत 2072 से 2075 में वादिया के नाम खातेदारी रिकार्ड में अंकन करवाने एवं इसी अनुसार रिकार्ड दुरूस्ती घोषणा फरमाई जावे। प्रतिकूल इन्द्राज वादिया के हक के मुकाबले निष्प्रभावी, स्वत, शून्य व कलमजन के आदेश के प्रतिवादी संख्या 2 को प्रदान किये जावें एवं चिर स्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थिया खिलाफ प्रतिवादी गण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण वादिया के कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करें तथा ऐसा कोई कृत्य/अकृत्य नहीं करें जिससे वादिया के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वादपत्र के पैरा संख्या 2 के तथ्य सूची नम्बर 4 व 8 के अनुसार जमाबंदी बनी है के प्रतिकूल तथ्य वादी एवं प्रतिवादी की कब्जा काश्त साक्ष्य से साबित योग्य है। सरकार से संबंधित नहीं है। इस प्रकार पैरा संख्या 03 भी साक्ष्य वादी/प्रतिवादी को साबित करने योग्य है। शेष कथन आंशिक स्वीकार/अस्वीकार किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता वादपत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए राजीनामा पेश कर मुताबिक कब्जा काश्त वाद का निस्तारण हेतु निवेदन किया। वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वाद साक्ष्य के आधार पर निस्तारण का निवेदन किया। इकबाल जवाब दावा पेश करने पर वाद बिन्दु तय नहीं किया जाकर वादी/प्रतिवादी संख्या 01 से साक्ष्य तलब किये गये।

सर्वप्रथम वादिया की ओर से वाद पत्र के समर्थन में विकय पत्र की छायाप्रति, जमाबंदी सम्वत 2070–73 ग्राम मोखमपुरा अमरी देवी की खसरा नम्बर 76 की तादादी 6.32 है0 की व नक्शा ग्राम मोखमपुरा पेश किये। इसी प्रकार जमाबंदी चक 2 एमजीडी सम्वत 2073 से 76 स्वयं के नाम की व नक्शा चक 2 एमजीडी पेश किया। जमाबंदी चक 2 एमजीडी सम्वत 2073–73 प्रतिवादिया जसोदा की पेश की। सूची नम्बर 4 खसरा नम्बर 568/27 तादादी 25 बीघा की

Scanned by CamScanner

स्वयं के नाम की खरीद शुदा खसरा की पेश की। प्रतिवादिया संख्या 1 की ओर से राजीनामा में वर्णित कथनों के समर्थन में सूची नम्बर 4 खसरा नम्बर 569/433 पेश की।

बहस उभयपक्ष सूनी गई। वादिया की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामदीन पड़िहार ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि वादिया की पुराने खसरा नम्बर 568/327 की तादादी 25 बीघा एक ही विक्रयकर्ता से जरिये बैयनामा खरीद शुदा है। जिसके नये खसरा नम्बर 76 बने। चकबंदी में आने पर उक्त रकबा चक 2 एमजीडी में शामिल किया गया जिसके मु.नं. 82/50 कि.नं. 3, 6 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 कुल 13 बीघा, मु.नं. 82/51 कि.नं. 4 ता 7, 14, 15, 16, 18 आठ बीघा, मु.नं. 82/58 कि.नं. 10 ता 12, 20, 21 पांच बीघा, मु.नं. 82/59 1, 10, 11, 20 कुल 30 बीघा फिट किये गये। परंतु जमाबंदी व नक्शा में अमला माल द्वारा कब्जा काश्त के विरूद्ध फिटिंग कर दी गई। जबकि मौका पर कब्जा काश्त अनुसार मु. नं. 82/50 कि.नं. 15, 16, 22, 24, 25 चार बीघा, मु.नं. 82/51 के कि.नं. 5, 6, 15, 16 चार बीघा, मु.नं. 82/59 कि.नं. 1 ता 3, 8 ता 12, 20, 21 नौ बीघा, मु.नं. 82/58 कि.नं. 11 ता 13, 18 ता 22 आठ बीघा कुल 25 बीघा में से 13 कमाण्ड व 12 अनकमाण्ड है। प्रतिवादिया संख्या एक की 568/327 की तादादी 25 बीघा जिसके नये खसरा नम्बर 74 बने। चकबंदी मुताबिक सूची नम्बर 4 चक 2 एमजीडी के मु.नं. 82/58 कि.नं. 12 ता 19, 22 ता 25 कुल 11 बीघा, मु.नं. 82/59 कि.नं. 2 ता 9, 12ता 15 कुल 12 बीघा, मु.नं. 102/2 कि.नं. 11, 13, 14, 18 ता 23 नौ बीघा, मु.नं. 102/3 कि.नं. 1, 2, 9 ता 11 पांच बीघा कुल 37 बीघा फिटिंग की गई है। इस प्रकार दोनों की खसरो में खसरा नम्बर 76 व 74 की 50 बीघा के बजाय 67 बीघा चकबंदी में किला मुरब्बा में फिटिंग की गई है। चकबंदी में आने पर अमलामाल द्वारा वादिया एवं प्रतिवादिया के कब्जा काश्त के विपरीत फिट कर जमाबंदी तैयार की गई जो दुरूस्ती योग्य है। अतः वाद वादिया स्वीकार फरमाया जाकर मुताबिक कब्जा काश्त रिकार्ड दुरूस्ती की घोषणा फरमाई जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री मोहम्मद आरीफ अधिवक्ता ने वादिया के अधिवक्ता की बहस का समर्थन करते हुए स्वीकार किया कि वादिया एवं प्रतिवादिया की मौका पर कब्जा काश्त की फिटिंग की गई है। जिसे दुरूस्त किया जावे। इसमें प्रतिवादी सख्या 2 को कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादिया संख्या 1 के मु.नं. 82/58 कि.नं. 16, 17 23 ता 25 पांच बीघा, मु.नं 82/59 कि. नं. 4 ता 7 13 ता 15 सात बीघा, मु.नं 102/2 कि.नं. 11, 18 ता 23 सात बीघा, मु.नं. 102/3 कि.नं. 1, 2, 9 ता 12 छः बीघा कुल 25 बीघा पर कब्जा काश्त है। इसी प्रकार से रिकार्ड दुरूस्त फरमाया जावे।

वादिया एंव प्रतिवादी संख्या 1 की बहस के प्रत्युत्तर में प्रतिवादी सख्या 02 राज पैरोकार का कथन है कि मुताबिक सूची नम्बर 4 व कब्जा काश्त के अनुसार साक्ष्यों के मध्यनजर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने में राज्य पक्ष का कोई हित/अहित प्रभावित नहीं होता है। सूची नम्बर 4 के अलावा रकबा की दुरूस्ती किये जाने पर राज्य पक्ष्य को एतराज है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस का मनन किया। प्रस्तुत साक्ष्य जमाबंदी, बैयनामा की छायाप्रति, सूची नम्बर 4 वादिया/प्रतिवादिया नक्शा खसरा व नक्शा चकबंदी का ध्यानपूर्वक अध्ययन मनन किया। प्रतिवादी संख्या 1 व वादिया के मध्य हुए राजीनामें का भलीभांति परीक्षण किया। परीक्षण अध्ययन करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वादिया की ग्राम मोखमपुरा के पुराने खसरा नम्बर 568/327 जिसके नये खसरा नम्बर 76 से चकबंदी में चक 2

Scanned by CamScanner

एमजीडी में बने किला मुरबा में फिट की गई भूमि में से कुछ किले कब्जा काश्त के विपरीत प्रतिवादिया के खाते में शामिल कर दिए गए है। इसी प्रकार प्रतिवादिया की भूमि के भी कब्जा काश्त के विपरीत फिटिंग की गई है जिसके न्यायहित में उचित दुरूस्ती की घोषणा की अधिकारिणी वादिया है। अतः वाद वादिया स्वीकार किया जाकर स्वीकार की जाती है कि वादिया के पक्ष में पूर्व फिटिंग को दुरूस्त करते हुए चक 2 एमजीडी के मु. नं. 82/50 कि.नं. 15, 16, 22, 24, 25 चार बीघा, मु.नं. 82/51 के कि.नं. 5, 6, 15, 16 चार बीघा, मु.नं. 82/59 कि.नं. 1 ता 3, 8 ता 12, 20, 21 नौ बीघा, मु.नं. 82/58 कि.नं. 11 ता 13, 18 ता 22 आठ बीघा कुल 25 बीघा में से 13 कमाण्ड व 12 अनकमाण्ड दुरूस्ती की घोषणा की जाती है। प्रतिवादिया प्रस्तुत जवाब दावा राजीनामें के अनुसार काउंटर क्लेम स्वीकार किया जाकर चक 2 एमजीडी के मु.नं. 82/58 के कि.नं. 16, 17, 23 ता 25 पांच बीघा, मु.नं. 82/59 कि.नं. 4 ता 7, 13 ता 15 सात बीघा, मु.नं. 102/2 कि.नं. 11, 18 ता 23 सात बीघा, मु.नं 102/3 कि.नं. 1, 2, 9 ता 12 छः बीघा कुल 25 बीघा दुरूस्ती के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार राजस्व लूनकरनसर मुताबिक निर्णय रिकार्ड दुरूस्त करें। तद्नूसार पर्चा डिग्री जारी हो। वाद वादिया निर्णय में शुमार होकर पत्रावली हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

23/7/19

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरणसर

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

ब इजलास : श्री शिवपाल जाट, आरएएस

अमरी **बनाम** जसोदा आदि

दावा बाबत चिरस्थाई निषेधाज्ञा एवं घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 आर टी एक्ट एवं धारा 136 एलआरए

मुकदमा नम्बर : 93/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी **वकील वादी श्री श्यामदीन पड़िहार,** मिनजानिब मुदई **पैरोकारराज राज्य की ओर से** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादिया के पक्ष में पूर्व फिटिंग को दुरूस्त करते हुए चक 2 एमजीडी के मु. नं. 82/50 कि.नं. 15, 16, 22, 24, 25 चार बीघा, मु.नं. 82/51 के कि.नं. 5, 6, 15, 16 चार बीघा, मु.नं. 82/59 कि.नं. 1 ता 3, 8 ता 12, 20, 21 नौ बीघा, मु.नं. 82/58 कि.नं. 11 ता 13, 18 ता 22 आठ बीघा कुल 25 बीघा में से 13 कमाण्ड व 12 अनकमाण्ड दुरूस्ती की घोषणा की जाती है। प्रतिवादिया प्रस्तुत जवाब दावा राजीनामें के अनुसार काउंटर क्लेम स्वीकार किया जाकर चक 2 एमजीडी के मु.नं. 82/58 के कि.नं. 16, 17, 23 ता 25 पांच बीघा, मु.नं. 82/59 कि.नं. 4 ता 7, 13 ता 15 सात बीघा, मु.नं. 102/2 कि.नं. 11, 18 ता 23 सात बीघा, मु.नं 102/3 कि.नं. 1, 2, 9 ता 12 छः बीघा कुल 25 बीघा दुरूस्ती के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार राजस्व लूनकरनसर मुताबिक निर्णय रिकार्ड दुरूस्त करें।

नीज .....- .....मुबलिक .....- .....बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ..... -..... फीस सदी सालाना आज की तारीख से वसूल याबो तक .....-..... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक **23.07.2019** को डिक्री जारी की गई।

20/7/19

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner